

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1),
 ग्रामीण निर्माण विभाग,
 रायपुर रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड।
 पत्रांक 545/ग्रा0नि0वि0/स्था0-तीन- 06/2019-20 दिनांक 17 जून 2019

"कार्यालय आदेश"

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (संख्या-01, वर्ष 2018) में निहित प्राविधानों एवं शासनादेश संख्या 152/XXX(2)/19/30(13)/2017 दिनांक 07.06.2019 के अनुसार स्थानान्तरणों हेतु निर्धारित की गई अधिकतम सीमा के अर्न्तगत विभागीय स्थानान्तरण समिति द्वारा संस्तुति किये गये विभाग में कार्यरत निम्नलिखित कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ताओं का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख अंकित विवरण के अनुसार किया जाता है-

क्र०सं 0	कनि०अभि०/अपर सहा०अभि० का नाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	स्थानान्तरण उपरान्त तैनाती	स्थानान्तरण का प्रकार	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6
1	श्री देवेन्द्र कुमार	टिहरी (सुगम)	प्रखण्ड-पौड़ी	सुगम से दुर्गम क्षेत्र में धारा-7 (क) के अर्न्तगत	-
2	श्री रियासत अली अंसारी	चमोली	हरिद्वार	दुर्गम से सुगम क्षेत्र की धारा-10 (ख) के अर्न्तगत	-
3	श्री राकेश सिंह बिष्ट	रुद्रप्रयाग	देहरादून (सुगम)	दुर्गम से सुगम क्षेत्र की धारा-10 (ख) के अर्न्तगत	-
4	श्री संजय कुमार डुकलान	पौड़ी	देहरादून (सुगम)	दुर्गम से सुगम क्षेत्र की धारा-10 (ख) के अर्न्तगत	-

1- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-22 के अनुसार उपरोक्त स्थानान्तरित कनिष्ठ अभियन्ता /अपर सहायक अभियन्ता एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे। कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग नवतैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही किया जा सकेगा। वर्तमान तैनाती से कार्यमुक्त होने के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का उपयोग कर सकेंगे।

2- स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

कमश:-2

- 3- नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 4- यदि उक्त स्थानान्तरण आदेश में किसी प्रकार की सारगर्भित/टंकण त्रुटि हो तो आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अर्न्तगत उच्चाधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकता है।
- 5- धारा-25 के अर्न्तगत पटल के महत्वपूर्ण प्रकरणों/विकास कार्यक्रमों आदि के सम्बन्ध में कार्यभार टिप्पणी बनाया जाना आवश्यक है।
- 6- कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ताओं की तैनाती धारा-17 (2) (ख) के अर्न्तगत की जायेगी।

६०/-

मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग
उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक एवं दिनांक उक्तानुसार।

- प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
- 1- सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
 - 2- मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, कुमायूँ मण्डल, भीमताल, नैनीताल।
 - 3- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
 - 4- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, देहरादून एवं पौड़ी।
 - 5- सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी।
 - 6- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, टिहरी, हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी, चमोली एवं रुद्रप्रयाग।
 - 7- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड टिहरी,, हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी, चमोली एवं रुद्रप्रयाग।
 - 8- सम्बन्धित अपर सहायक अभियन्ता द्वारा अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड टिहरी, हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी, चमोली एवं रुद्रप्रयाग।
 - 9- प्रान्तीय अध्यक्ष/महासचिव, डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
 - 10- व्यक्तिगत पत्रावली।
 - 11- कार्यालय आदेश पत्रबंध।

६०/-

मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग
उत्तराखण्ड देहरादून।

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) ग्रामीण निर्माण विभाग,

तपोवन मार्ग, रायपुर रोड, देहरादून (उत्तराखण्ड)।

पत्रांक:- 546 / ग्रा0नि0वि0 / स्था0-एक-ख / 2019-20 / दिनांक: 17 जून: 2019.

// स्थानान्तरण आदेश //

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (संख्या-1, वर्ष 2018) में निहित प्राविधानों एवं शासनादेश संख्या-108/XXX(2)/19/30(13)/2017, दिनांक-01.05.2019 एवं शासनादेश संख्या-152/XXX(2)/19/30(13)/2017, दिनांक-07.06.2019 के अनुसार स्थानान्तरणों हेतु निर्धारित की गयी अधिकतम सीमा के अन्तर्गत विभागीय स्थानान्तरण समिति द्वारा संस्तुति किये गये विभाग में कार्यरत निम्नलिखित सहायक अभियन्ताओं का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख अंकित विवरण के अनुसार किया जाता है।

क्र० सं०	सहायक अभियन्ता का नाम	वर्तमान तैनाती	स्थानान्तरण उपरान्त तैनाती	स्थानान्तरण का प्रकार	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6
1	श्री राजेन्द्र सिंह बिष्ट	प्रखण्ड-डीडीहाट	प्रखण्ड-नैनीताल	दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र अधिनियम की धारा-10 (ख) के अन्तर्गत	श्री अनिल कुमार सहायक अभियन्ता की पदोन्नति उपरान्त रिक्ति उपलब्ध होने पर योगदान किया जायेगा।
2	श्री इन्द्र सिंह चौहान	प्रखण्ड-उत्तरकाशी	प्रखण्ड-हरिद्वार	दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र अधिनियम की धारा-10 (ख) के अन्तर्गत	श्री के0सी0 जोशी, सहायक अभियन्ता की सेवानिवृत्ति उपरान्त रिक्ति उपलब्ध होने पर योगदान किया जायेगा।

1- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-22 के अनुसार उपरोक्त स्थानान्तरित सहायक अभियन्ता निर्धारित अवधि के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे। कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही किया जा सकेगा।
वर्तमान तैनाती से कार्यमुक्त होने के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Journey time) का ही उपयोग कर सकेंगे।

2- स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

3- नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

4- यदि उक्त स्थानान्तरण आदेश में किसी प्रकार की सारगर्भित/टंकण त्रुटि हो तो आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर उच्चाधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकता है।

5- धारा-25 के अन्तर्गत पटल के महत्वपूर्ण प्रकरणों/विकास कार्यक्रमों आदि के सम्बन्ध में कार्यभार टिप्पणी बनाया जाना आवश्यक होगा।

ED/—
मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग
उत्तराखण्ड-देहरादून।

कमश:-2

(2)

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

- 1- प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
 - 2- सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
 - 3- मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, नैनीताल (स्थित भीमताल)।
 - 4- समस्त अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग उत्तराखण्ड।
 - 5- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग प्रखण्ड-डीडीहाट / उत्तरकाशी / नैनीताल / हरिद्वार।
 - 6- जिलाधिकारी पिथौरागढ़ / उत्तरकाशी / नैनीताल / हरिद्वार।
 - 7- मुख्य विकास अधिकारी पिथौरागढ़ / उत्तरकाशी / नैनीताल / हरिद्वार।
 - 8- वरिष्ठ / मुख्य कोषाधिकारी पिथौरागढ़ / उत्तरकाशी / नैनीताल / हरिद्वार।
 - 9- उपरोक्त सहायक अभियन्ता द्वारा सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता।
 - 10- महालेखाकार उत्तराखण्ड-देहरादून।
- व्यक्तिगत पत्रावली / कार्यालय आदेश पत्रबन्ध।

Sunday 17/11/19
मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग
उत्तराखण्ड-देहरादून।